

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-4-3/2019/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2020

प्रति,


शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश

विषय :- शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मों को देय मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि।  
...0...

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-3/2019/नियम/चार दिनांक 16 मार्च 2020 के द्वारा शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मों के मंहगाई भत्ते में 01 जुलाई 2019 से वृद्धि कर छठवें व सातवें वेतनमान में क्रमशः 164 प्रतिशत व 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित की गई है। इस मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान माह मार्च 2020 के वेतन से किये जाने के निर्देश हैं।

2/ उपर्युक्त आदेश का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसारि

  
(अजय चौबीसे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक एफ-4-3/2019/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2020

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज्यभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
04. महालेखाकार(लेखा और हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
05. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
07. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
08. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संभागीय / जिला पेंशन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. मध्य प्रदेश शासन के वित्त अधिकारी (स्थाई सूची अनुसार)।
17. गार्ड फाईल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग